उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-1
संख्या-13/2019/370/46-1-2019-1000(25)/2018
लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2019

**शुद्धि-पत्र**

जिला योजना वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निमार्ण (जिला योजना) कार्य योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-10/2019/236/46-1-19-1000(25)/2018, दिनांक 08 मार्च, 2019 को जारी की गयी थी, जिसके प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की पॉचवीं पंक्ति में वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्थान पर त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2017-18 अंकित हो गया है।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 पढ़ा जाय।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.03.2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**
**(कमल किशोर गुप्त)**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या-13/2019/370(1)/46-1-2019-1000(25)/2018, दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदॉयू, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, अम्बेड़करनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, महाराजगंज तथा कुशीनगर।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,

9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

14- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

16- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(सुशील कुमार शुक्ल)**

**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है